रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 18, 2016/माघ 29, 1937
No. 113] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 18, 2016/MAGHA 29, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2016

सा.का.नि. 180(अ).—भारत सरकार द्वारा देश में स्टार्ट-अप्स के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'स्टार्टअप इंडिया' पहल की घोषणा की गई है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा इस प्रयोजन के लिए कई कार्यकलाप शुरू किए गए हैं। पहचान किए गए उद्यमों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से किसी संस्था को निम्नानुसार 'स्टार्टअप' माना जाएगा-

क) उसके निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से पांच वर्ष तक,

ख) यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका कारोबार (टर्नओवर) 25 करोड़ से अधिक नहीं है, और

ग) वह अभिनवीकरण, प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा आधारित नए उत्पादों, प्रक्रियाओं अथवा सेवाओं के विकास, अनुप्रयोग या वाणिज्यीकरण के संबंध में कार्य कर रहा है;

पहले से ही अस्तित्व वाले किसी व्यवसाय के विभाजन या उसके पुनर्निर्माण के माध्यम से बनाई गई किसी संस्था को 'स्टार्टअप' नहीं माना जाएगा;

उपर्युक्त परिभाषा अनुसार पहचान किए गए किसी 'स्टार्टअप' को कर लाभ प्राप्त करने के लिए अंतर-मंत्रालयी प्रमाणन बोर्ड से पात्र व्यवसाय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अपेक्षित होगा जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क) संयुक्त सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग,

ख) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि, और

ग) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि।

स्पष्टीकरण:

1. कोई संस्थान अपने निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से पांच वर्ष पूरे होने पर अथवा किसी विगत वर्ष में उसका कारोबार 25 करोड़ रुपए से अधिक होने पर 'स्टार्टअप' के रूप में नहीं माना जाएगा।

2. संस्थान का अर्थ है - कोई निजी क्षेत्र लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित), अथवा पंजीकृत साझेदारी फर्म (साझेदारी अधिनियम, 1932 के खण्ड 59 के तहत पंजीकृत) या लिमिटेड देयता साझेदारी (लिमिटेड देयता साझेदारी अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत)।

3. कारोबार का अर्थ, कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित किए अनुसार है।

4. किसी संस्थान को अभिनवीकरण, प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा आधारित नए उत्पादों, प्रक्रियाओं या सेवाओं के विकास, अनुप्रयोग या वाणिज्यीकरण के संबंध में कार्यरत माना जाता है, यदि उसका लक्ष्य निम्नलिखित को विकसित करना और उनका वाणिज्यीकरण करना है:

क) एक नया उत्पाद या सेवा या प्रक्रिया अथवा

ख) महत्वपूर्ण रूप से सुधार किए गए मौजूदा उत्पाद, सेवा या प्रक्रिया, जो ग्राहकों या कार्य के प्रवाह के सृजन या उसके मूल्य संवर्धन में सहायक हो।

मात्र निम्नलिखित को विकसित करने संबंधी कार्य को इस परिभाषा में शामिल नहीं माना जाएगा:-

क) उत्पाद या सेवाएं या प्रक्रियाएं जिनमें वाणिज्यीकरण की संभावना नहीं हो, अथवा

ख) एकसमान उत्पाद या सेवाएं या प्रक्रियाएं अथवा

ग) उत्पाद या सेवा या प्रक्रियाएं जो ग्राहकों या कार्य के प्रवाह के संबंध में मूल्य संवर्धन नहीं करते या सीमित वृद्धि करते हों,

5. 'स्टार्टअप' के रूप में मान्यता संबंधी प्रक्रिया, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के मोबाइल एप/पोर्टल के माध्यम से होगी। स्टार्टअप्स को निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक के साथ साधारण आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा:

(क) भारत में किसी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्थापित किसी इन्क्यूबेटर से औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में अनुशंसा (व्यवसाय की अभिनव प्रकृति के संबंध में); या

(ख) किसी इन्क्यूबेटर का समर्थन पत्र जिसका निधियन (परियोजना के सन्दर्भ में), अभिनवीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किसी निर्दिष्ट योजना के भाग के रूप में भारत सरकार या कोई राज्य सरकार द्वारा किया जाता हो; या

(ग) भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी इन्क्यूबेटर से औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में अनुशंसा (व्यवसाय की अभिनव प्रकृति के संबंध में); या

(घ) किसी इन्क्यूबेशन फंड/एंजल फंड/निजी इक्विटी फंड/त्वरित/एंजल नेटवर्क जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड में पंजीकृत हो, के द्वारा इक्विटी में 20 प्रतिशत या इससे अधिक के निधियन का पत्र जो व्यवसाय के अभिनव स्वरूप को स्वीकारता हो। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ऐसे कारणों के लिए नकारात्मक सूची में ऐसे किसी भी फंड को शामिल कर सकता है जो वह उचित समझे; या

(ङ) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार का अभिनवीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किसी निर्दिष्ट योजना के भाग के रूप में निधियन पत्र; या

(च) व्यवसाय के स्वरूप को संवर्धित करने वाले क्षेत्रों में भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा पत्रिका में दर्ज किया गया और प्रकाशित किया गया पेटेंट।

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ऐसे मोबाइल एप/पोर्टल के शुरू होने तक स्टार्टअप को मान्यता देने की वैकल्पिक व्यवस्था कर सकता है। एक बार संबद्ध दस्तावेज के साथ ऐसा आवेदन अपलोड हो जाने पर स्टार्टअप को वास्तविक समय मान्यता नम्बर जारी किया जाएगा। यदि बाद में सत्यापन के समय यह पाया जाता है कि यह मान्यता, दस्तावेज के बिना अपलोड किए या अन्य दस्तावेज अपलोड होने या जाली दस्तावेज होने के कारण प्राप्त हुई है, तो संबंधित प्रार्थी दण्ड का भागी होगा जो स्टार्टअप की प्रदत्त पूंजी का 50 प्रतिशत होगा, लेकिन यह 25,000 रुपए से कम नहीं होगा।

यह अधिसूचना, राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. 5(91)/2015-बीई. I]

रवनीत कौर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2016

G.S.R. 180(E).—The Government of India has announced 'Startup India' initiative for creating a conducive environment for startups in India. The various Ministries of the Government of India have initiated a number of activities for the purpose. To bring uniformity in the identified enterprises, an entity shall be considered as a 'startup'-

a) Up to five years from the date of its incorporation/registration,

b) If its turnover for any of the financial years has not exceeded Rupees 25 crore, and

c) It is working towards innovation, development, deployment or commercialization of new products, processes or services driven by technology or intellectual property;

Provided that any such entity formed by splitting up or reconstruction of a business already in existence shall not be considered a 'startup';

Provided further that in order to obtain tax benefits a startup so identified under the above definition shall be required to obtain a certificate of an eligible business from the Inter-Ministerial Board of Certification consisting of:

a) Joint Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion,

b) Representative of Department of Science and Technology, and

c) Representative of Department of Biotechnology.

Explanation:

1. An entity shall cease to be a startup on completion of five years from the date of its incorporation/registration or if its turnover for any previous year exceeds Rupees 25 crore.
2. Entity means a private limited company (as defined in the Companies Act, 2013), or a registered partnership firm (registered under section 59 of the Partnership Act, 1932) or a limited liability partnership (under the Limited Liability Partnership Act, 2002).
3. Turnover is as defined under the Companies Act, 2013.
4. An entity is considered to be working towards innovation, development, deployment or commercialization of new products, processes or services driven by technology or intellectual property if it aims to develop and commercialize:

    a. A new product or service or process, or

    b. A significantly improved existing product or service or process, that will create or add value for customers or workflow.

Provided that the mere act of developing:

a. products or services or processes which do not have potential for commercialization, or

b. undifferentiated products or services or processes, or

c. products or services or processes with no or limited incremental value for customers or workflow

would not be covered under this definition.

5. The process of recognition as a 'startup' shall be through mobile app/portal of the Department of Industrial Policy and Promotion. Startups will be required to submit a simple application with any of following documents:

a) a recommendation (with regard to innovative nature of business), in a format specified by Department of Industrial Policy and Promotion, from any Incubator established in a post-graduate college in India; or

b) a letter of support by any incubator which is funded (in relation to the project) from Government of India or any State Government as part of any specified scheme to promote innovation; or

c) a recommendation (with regard to innovative nature of business), in a format specified by Department of Industrial Policy and Promotion, from any Incubator recognized by Government of India; or

d) a letter of funding of not less than 20 per cent in equity by any Incubation Fund/Angel Fund/Private Equity Fund/Accelerator/Angel Network duly registered with Securities and Exchange Board of India that endorses innovative nature of the business. Department of Industrial Policy and Promotion may include any such fund in a negative list for such reasons as it may deem fit; or

e) a letter of funding by Government of India or any State Government as part of any specified scheme to promote innovation; or

f) a patent filed and published in the Journal by the Indian Patent Office in areas affiliated with the nature of business being promoted.

Department of Industrial Policy and Promotion may, until such mobile app/portal is launched make alternative arrangement of recognizing a 'startup'. Once such application with relevant document is uploaded a real-time recognition number will be issued to the startup. If on subsequent verification, such recognition is found to be obtained without uploading the document or uploading any other document or a forged document, the concerned applicant shall be liable to a fine which shall be fifty per cent of paid up capital of the startup but shall not be less than Rupees 25,000.

This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 5(91)/2015-BE. I]

RAVNEET KAUR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.